10/01/25

प्रार्थी/प्रेषक/प्रार्थी के
विरुद्ध मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय
के समक्ष प्रार्थना अपील सं०-1/2017/2489
दिनांक 03/12/24 के अन्तर्गत अधिवक्ता परामर्श
मे न्यायालय द्वारा के प्रकरण 1771/आज्ञा
10/03/21 से मूल प्रार्थना पत्र की
नकल पुष्टि है। पुनः मूल प्रार्थना अधीनस्थ
न्यायालय में और वापस रहने वाला प्रार्थना
मे कोई कार्यवाही अभिलेख नहीं है। इसलिए
इस न्यायालय का कोई औचित्य नहीं है।
अतः मूल प्रार्थना निरस्त किया जाता है
और यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
जयपुर सदर प्रथम